संख्या-74/2015/738/41-2015-69 यो0/15

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2015

विषय- जनपद वाराणसी के पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण एवं नवीनीकरण की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-2205/6-1-1(546)/2015, दिनॉक 20-03-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण एवं नवीनीकरण की योजना हेतु उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा गठित आगणन के आधार पर पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र के अनुसार धनराशि रू0 45.00 लाख (रू0 पैंतालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था के सम्बनध में सक्षम स्तर का कार्य कराया जायेगा।
5. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाय, जिससे प्रगति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

3.- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-सम्बर्धन तथा प्रचार-19-पर्यटन एवं शिल्पकला का विकास-24-वृहद निर्माण कार्य मद में से आयोजनागत की धनराशि से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-सम्बर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या आरई0-604/ई0-7-(1)/दस-2014, दिनांक- 27 मार्च, 2015 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

संख्या-74/2015/738(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लखनऊ।
6. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
7. श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in